न्यायालय विशेष सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा।
उपस्थित–मलिक मज़हर सुलतान, एच0जे0एस0।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 99 वर्ष 2022

सी0एन0आर0–यू0के0ए0एल0–010003122022

गणेश अधिकारी पुत्र धन सिंह अधिकारी,
निवासी उदरयपुरी बन्दोबस्ती, पीरूमदारा
थाना रामनगर
जिला नैनीताल।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य

एफ0आई0आर0 संख्या–04 वर्ष 2022
अन्तर्गत धारा–8/20/29/27ए
एनडीपीएस एक्ट
चालानी थाना–भतरौजखान,
जिला अल्मोड़ा।

उपस्थितः– अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद फुलारा।
राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी)
श्री पूरन सिंह कैड़ा।

## आदेश

**28.07.2022**

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त गणेश अधिकारी की ओर से एफ0 आई0 आर0 संख्या 4/2022 अन्तर्गत धारा 8/20/29/27ए एन.डी.पी.एस. एक्ट, चालानी थाना भतरौजखान जिला अल्मोड़ा में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु दिया गया है।

2. प्रार्थना–पत्र में कथन किया गया है कि उक्त मामले में प्रार्थी/अभियुक्त को झूठा व गलत फंसाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है और ना तो वह घटना के दिन घटनास्थल पर मौजूद था और ना ही अभियुक्त से कोई बरामदगी ही हुई है। उक्त धाराओं का कोई भी अपराध अभियुक्त के विरूद्ध नहीं बनता है। उक्त मामले में थाना भतरौंजखान में प्रथम सूचना रिपोर्ट बालम सिंह रावत के नाम दर्ज हुई है और उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होते वक्त पुलिस ने ना तो अभियुक्त को नामजद अभियुक्त बनाया है और ना ही अज्ञात में उसके विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज की थी। मात्र पुलिस ने अभियुक्त को फॅसाने के लिये उसे

इस मामले में जोड़ दिया है। घटनास्थल पर अभियुक्त के मौजूद होने के सम्बन्ध में कोई भी स्वतन्त्र साक्ष्य पुलिस के पास नहीं है और जिस मोबाईल नम्बर का उल्लेख पुलिस ने किया है, वह भी अभियुक्त का नहीं है। अभियुक्त के विरूद्ध कोई प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है।

3. प्रार्थना–पत्र के समर्थन में अभियुक्त के भाई अजय सिंह अधिकारी के द्वारा अपना शपथ–पत्र कागज सं0–4ख प्रस्तुत करते हुए कहा है कि अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है और इस जमानत प्रार्थना–पत्र के अतिरिक्त कोई अन्य जमानत प्रार्थना–पत्र किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

4. अभियोजन द्वारा प्रार्थना–पत्र के विरोध में विवेचनाधिकारी की लिखित आख्या– 6ख/1–6ख/2 प्रस्तुत करते हुए कहा गया है कि वर्तमान अभियुक्त के विरूद्ध सीडीआर लोकेशन के आधार पर उक्त अभियोग के पर्याप्त साक्ष्य हैं जिस कारण अभियुक्त का उपरोक्त अभियोग में रिमाण्ड लिया गया है तथा अभियुक्त के विरूद्ध कई मामलों में अभियोग दर्ज हैं तथा वह अवैध गांजा व चरस की तस्करी में पूर्व से लिप्त है। जमानत पर छोड़ने पर वह पुनः इस प्रकार का अपराध कारित कर सकता है और विवेचना को प्रभावित कर सकता है।

5. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद फुलारा व अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री पूरन सिंह कैड़ा को सुना गया तथा पुलिस प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

6. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 19.1.2022 को समय 2.45 पर वादी मुकदमा उपनिरीक्षक अनीस अहमद अन्य पुलिसकर्मियों के साथ चौकी तिराहा भिकियासैन पर वाहनों की चैंकिग कर रहे थे तो उस दौरान एक सफेद रंग की मारूति वैन संख्या यूके19टीए0596 आती दिखाई दी जिसे रोक का चैक किया गया तो उक्त वाहन से करीब 80 किलो 50 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। वाहन चालक बालम सिंह ने पूछताछ पर बताया कि इस अवैध गांजा को रसिया महादेव से गणेश सिंह अधिकारी ने रखवाया है **तथा वह आगे–आगे चल रहा था** तथा उसने उक्त बालम सिंह को थोड़ी देर बाद आने को कहा। अभियुक्त बालम सिंह को उसके अपराध से अवगत कराते हुये गिरफ्तार किया गया तथा फर्द मौके पर बनाई गई। मौके पर समस्त औपचारिकओं को पूर्ण करने के पश्चात थाना भतरौंजखान में अभियुक्त बालम सिंह रावत के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 4/2022 अन्तर्गत धारा

8/20/60 एन0डी0पी0एस0 एक्ट दर्ज की गई तथा दौरान विवेचना वर्तमान अभियुक्त गणेश सिंह अधिकारी के मोबाईल व अभियुक्त बालम सिंह के मोबाईल की सीडीआर व लोकेशन के आधार पर अभियुक्त गणेश सिंह अधिकारी का अभियुक्त बालम सिंह के साथ होना पाया। अभियुक्त गणेश सिंह अधिकारी थाना रामनगर जिला नैनीताल के अपराध संख्या 89/2022 धारा 8/20/29/60 में जिला कारागार हल्द्वानी में निरूद्ध है तथा इस मामले में उसका दिनांक 9.5.2022 को वारण्ट–बी में रिमाण्ड लिया गया।

7. अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि अभियुक्त को इस मामले में झूठा फॅसाया गया है तथा उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है।

8. इसके विपरीत विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता–फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया कि घटना के दिन अभियुक्त गणेश सिंह की सीडीआर व लोकेशन से स्पष्ट है कि वह घटना के दिन अभियुक्त बालम सिंह के साथ था जिसके वाहन से 80.50 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ था। अभियुक्त बालम के द्वारा पुलिस को यह बताया गया था कि यह गांजा उक्त गणेश सिंह ने उसके वाहन में रखवाया था। अभियुक्त गणेश सिंह के द्वारा सह अभियुक्त के साथ मिलकर इतनी अधिक मात्रा में अवैध गांजे की तस्करी की जा रही थी जो एक जघन्य अपराध है। एक तर्क यह भी दिया गया कि अभियुक्त का आपराधिक इतिहास है।

9. अभियोजन का केस यह है कि दिनांक 19.1.2022 को पुलिसकर्मियों के द्वारा चैंकिग के दौरान मारूति कार संख्या यूके19टीए–0596 को चैक किया जिसे अभियुक्त बालम सिंह चला रहा था तथा उक्त वाहन से 80.50 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ। अभियुक्त बालम सिंह के कथानानुसार वर्तमान अभियुक्त गणेश सिंह के द्वारा उक्त अवैध गांजा उसकी कार में रखवाया गया था। अभियोजन के द्वारा अभियुक्त गणेश सिंह अधिकारी के मोबाइल संख्या 919528437323 व अभियुक्त बालम सिंह क मोबाई नम्बर 919528437323 की सीडीआर व लोकेशन केस डायरी के साथ दाखिल की गई है जिसके अनुसार उक्त गणेश सिंह को अभियुक्त बालम सिंह के साथ होना पाया गया है तथा घ ाटना के दिनांक 19.1.2022 को जिसकी लोकेशन भिकियासेन/भतरौंजखान इलाके में दर्शित है।

10. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा इस सम्बन्ध में यह तर्क दिया कि उक्त मोबाईल नम्बर अभियुक्त गणेश सिंह का नहीं है। न्यायालय की राय में यह साक्ष्य का विषय है। अभियुक्त बालम सिंह की कार से 80.50 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है जो वाणिज्यिक श्रेणी में आता है तथा अभियुक्त बालम सिंह के कथनानुसार यह गांजा वर्तमान अभियुक्त गणेश सिंह ने उसकी कार में रखवाया था तथा वह स्वयं आगे–आगे चल रहा था। घटना की दिनांक को दोनो अभियुक्तगण की मोबाईल लोकेशन एक ही स्थान पर पाई गई है। अभियोजन पक्ष के द्वारा वर्तमान अभियुक्त का आपराधिक इतिहास दाखिल किया है । उक्त अभियुक्त के विरूद्ध एन0डी0पी0एस0 एक्ट और गैंगेस्टर एक्ट के कई मामले चल रहे है तथा वर्तमान में वह अन्य मामले में जिला कारागार, हल्द्वानी में निरूद्ध है तथा इस मामले में उसे बी–वारण्ट के माध्यम से तलब कर उसका रिमाण्ड लिया गया है। अभियुक्त बालम सिंह से 80.50 किलोग्रम अवैध गांजे की बरामदगी हुई है जो वाणिज्यिक श्रेणी में आता है। अभियुक्त के विरूद्ध एन0डी0पी0एस0 एक्ट एवं गैगेस्टर एक्ट के कई मामले नैनीताल जिले एवं अल्मोड़ा में लम्बित हैं तथा एन0डी0पी0एस0 अधिनियम की धारा–37 सपठित धारा–1 के तहत् मामले में ऐसा कोई युक्तियुक्त आधार उपलब्ध नहीं है जिससे यह विश्वास किया जा सके कि अभियुक्त द्वारा उपरोक्त अपराध कारित ना किया गया हो और जमानत पर रिहा होने की दशा में भी वह इस प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं करेगा।

11. उपरोक्त विवेचना के आधार पर तथा मामले की परिस्थतियों में गुण–दोष पर टिप्पणी न करते हुये न्यायालय इस मत का है कि वर्तमान अभियुक्त इस स्तर पर जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है और उसका प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

## <u>आदेश</u>

12. जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–99 वर्ष 2022 निरस्त किया जाता है।

13. इस आदेश की प्रति अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता को आज ही निःशुल्क प्रदान की जाये।

28.07.2022

(मलिक मज़हर सुलतान),
सत्र न्यायाधीश,
अल्मोड़ा।